संo–   / I I(2)/2021–04(02)/2020

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2   **देहरादून, दिनांक, 09 मार्च, 2021**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–497/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0–27 (राज्य सैक्टर), दिनांक 31.01.2020 एवं पत्र संख्या–3943/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0–27 (राज्य सैक्टर), दिनांक 17.12.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर पोषित बांध/बैराज का निर्माण मद में Project for renovation and reconstruction of Haripura Dam Block Gadarpur District U.S. Nagar के प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल लागत ₹ 194.20 लाख (रू0 एक करोड़ चौरानबे लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 77.68 लाख (रू0 सतहत्तर लाख अडसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें और धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

(iii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(iv) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मित्तव्ययता के विषय में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2021 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य की क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जाय।

क्रमशः.........2

(vii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–292 / 9(150)–2019 / XXVII(1) / 2020, दिनांक 31.03.2020 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत व्यय–18–बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण / पुनरोद्धार–001–निदेशन तथा प्रशासन–02–अन्य रखरखाव व्यय–01 –बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण / नहर / नलकूप / जलटंकी पुनरोद्धार–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–151 / XXVII(2) / 2021, दिनांक 17 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः– 2335 (1) / II(2) / 2021–04(02) / 2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश सिंह बड़वाल)
अनु सचिव।